प्रेषक,

एल0 सैनुई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत, उत्तरांचल।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनांक 07 फरवरी, 2005

विषय– राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत जनपद चम्पावत हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1634/RSVY/PA/2003–04 दिनांक 11 जून, 2004 तथा योजना आयोग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–पी–12053/5/2004–MLP दिनांक दिसम्बर,2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत जनपद चम्पावत हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रस्तावित रूपये 15.00 करोड़ की योजना के सापेक्ष योजना आयोग भारत सरकार से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि के अनुसार रूपये 7.00 करोड़ ( रूपये सात करोड़ मात्र ) की धनराशि को वर्ष 2004–05 में व्यय हेतु आपके निदर्शन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद चम्पावत की राष्ट्रीय सम विकास के अंतर्गत के लिए ही किया जाय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि न किया जाय। जिसका उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

2– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

3– राष्ट्रीय सम विकास योजना में नियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों से विकास खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। विकास खण्ड, जिला, राज्य स्तर पर मध्यावधि मूल्यांकन तथा उसके आधार पर कार्य नीति एवं योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग भारत सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय सम विकास योजना की द्वितीय किश्त, प्रथम किश्त के पूर्ण उपयोग होने एवं भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। यदि उक्त अवधि तक इस धनराशि का उपयोग नहीं होता है तो समस्त अवशेष धनराशि 31 मार्च, 2005 तक समर्पित कर दी जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते हुए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

7- व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

8- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-07 के अधीन लेखाशीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-00-आयोजनागत-092-अन्य कार्यालय व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-02-राष्ट्रीय सम विकास योजना ( आर०एस० बी०वाई०)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-204/वित्त अनु0-3/2004 दिनांक 3, फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

08/02/05

( एल0 फैनाई )
अपर सचिव।

संख्या- (1)/09-XXVI/पीएमजीवाई(पु0)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2- उप सलाहकार, योजना आयोग ( एमएलपी प्रभाग ), भारत सरकार योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3- आयुक्त,कुमायूं मंडल,नैनीताल /मुख्य विकास अधिकारी,चम्पावत।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
5- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6- श्री एल0एन0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-3/गार्ड फाईल्स/विभागीय पत्रावली हेतु।
9- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

( टीकम सिंह पंवार ),
संयुक्त सचिव।

# आदेश

सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून के पत्रांक 62 ग्रा0वि0/111 XXVI(RSVY)/2005 दिनांक 9 फरवरी 2005 द्वारा जनपद चम्पावत हेतु राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष 2004–05 के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना मद में धनराशि का आवंटन अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें 00–आयोजनागत, 092–अन्य कार्यालय व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 02–राष्ट्रीय सम विकास योजना, 20–सहायक अनुदान में 7,50,00000/–रु0 (रु0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) केन्द्रांश मद में आवंटन होने के फलस्वरूप इस योजना के लिए धनराशि का आहरण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

सम्बन्धित शासनादेशों के समस्त प्रस्तरों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार 7,50,00000/–रु0 (रु0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत

पत्रांक 962 रा0स0वि0यो0/2004–05 दिनांक 19-2-05

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी चम्पावत।
2. मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत।
3. आयुक्त कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
4. अपर सचिव वित्त बजट प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक कोषागार वित्त सेवायें लक्ष्मी रोड देहरादून।
6. निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल देहरादून।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
8. महालेखाकार एवं हकदारी उत्तरांचल देहरादून।
9. उप सलाहकार योजना आयोग (एम0एल0पी0) प्रभाग भारत सरकार योजना भवन नई दिल्ली।

जिलाधिकारी
चम्पावत।